भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2743

<u>दिनांक 16 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

कॉफी संवर्धन और विकास विधेयक

2743. श्री जी. कुमार नायक:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कॉफी क्षेत्र के प्रोत्साहन और विनियमन हेतु प्रस्तुत कॉफी (प्रोत्साहन एवं विकास) विधेयक की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने विधेयक का मसौदा तैयार करने से पूर्व हितधारकों, कॉफी उत्पादकों, उद्योग प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों से परामर्श किया है;

(ग) यदि हाँ, तो परामर्शों का तत्संबंधी व्यौरा क्या है और विधेयक में सम्मिलित प्रमुख सिफारिशें क्या हैं;

(घ) विधेयक के पारित होने और कार्यान्वयन की अनुमानित समयसीमा क्या है, और

(ङ) देश के लघु और सीमांत कॉफी उत्पादकों को लाभ पहुंचाने हेतु विधेयक के प्रमुख प्रावधान क्या हैं?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ड.): सरकार ने कॉफी (संवर्धन और विकास) विधेयक के मसौदा पर व्यापक परामर्श किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मसौदा विधेयक को सार्वजनिक डोमेन में रखना और विभिन्न उत्पादक संघों, निर्यातक संघों, उद्योग हितधारकों और भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करना शामिल है। विधेयक को अभी तक संसद में पेश करने के लिए अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

*****